



पंजीयन क्र.-17195

(विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से सम्बद्ध)

सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, मध्यप्रदेश

प्रान्तीय कार्यालय: 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, भोपाल-462003

दूरभाष: (0755) 2761225, ई-मेल: vidyabharti@bpl@gmail.com,

www.vidyabhartimp.org

Date: 7-10-1986

पत्र क्रमांक : 26./2020

दिनांक-15/06/2020

प्रति,


श्रीमान व्यवस्थापक/प्राचार्य महोदय,
सरस्वती विद्या मंदिर/उ.मा.विद्यालय,
मध्यभारत प्रान्त

विषय: 12ए और 80 जी के संबंध में।

आदरणीय बंधु/भगिनी

विद्याभारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के संलग्न पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि लॉकडाउन के रहते अब 12ए और 80जी के नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र देने की समयावधि दिनांक 31.08.2020 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2020 कर दी गई है। अभी संशोधित फार्म भी नहीं आये हैं। अब दिनांक 01.10.2020 से लेकर 31.12.2020 तक प्रार्थना पत्र देना है। इस सम्बंध में अपेक्षित जानकारी हेतु 12ए एवं 80जी का कार्य करने वाले अपने वकील/सलाहकार से चर्चा कर सकते हैं। संलग्नक पत्र की जानकारी यथाशीघ्र पहुँचाने की व्यवस्था करें। ताकि आर्थिक नियमों का पालन व्यवस्थित रूप से हो सके।

शेष शुभ


(मोहनलाल गुप्ता)
प्रादेशिक सचिव

प्रतिलिपि:-

1. मा. संगठन मंत्री/सहसंगठन मंत्री महोदय, मध्यभारत प्रान्त।
2. श्रीमान प्रान्त प्रमुख/समस्त विभाग समन्वयक महोदय मध्यभारत प्रान्त।

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

प्रजा सदन, सरस्वती बाल मन्दिर परिसर, महात्मा गांधी मार्ग, नेहरू नगर, नई दिल्ली-110 065,
टैलीफैक्स : 011-29840126, 29840013,

पत्रांक :

दिनांक : 10 फरवरी 2020

प्रिय बन्धु
नमस्कार।

बजट 2020 संसद में आ चुका है। इस बजट में Trust को लेकर काफी बदलाव प्रस्तावित हैं। मैं आपका ध्यान ऐसे प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहता हूँ ताकि आप उसके अनुसार समय पर कार्यवाही कर सकें। ये प्रस्ताव निम्नलिखित हैं -

1. सभी प्रस्ताव 1.06.2020 से लागू होंगे।
2. वर्तमान में जो समिति / Trust 12ए या धारा 10(23C) में पंजीकृत हैं उन्हें Form 10A में पुनः पंजीकरण के लिए **31.12.2020** तक आवेदन देना है। आवेदन मिलने पर CIT आपको एक Unique Identification Number देगा तथा 5 वर्ष के लिए 12ए का नवीनीकरण करेगा। भविष्य में 4½ वर्ष पूर्ण होने से पूर्व आपको नवीनीकरण के लिए आवेदन देना होगा।
3. जो ट्रस्ट या समिति नई बन रही है, वे 12ए कोई काम शुरू करने बिना आवेदन कर सकेगी। उन्हें CIT एक Provisional Regn. 3 वर्ष के लिए दे देगा। 2½ वर्ष बाद या काम शुरू करने के 6 माह के अन्दर (जो पहले हो) पुनः नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।
4. जो ट्रस्ट / समिति काम कर रही हैं तथा अभी 12ए नहीं लिया है, वे जिस वर्ष से 12ए लेना चाहते हैं उन्हें वह वर्ष प्रारम्भ होने से 1 माह पूर्व आवेदन करना होगा। CIT इसमें 5 वर्ष के लिए पंजीकरण करेगा।
5. 80G के Approval व नवीनीकरण के लिए भी लगभग उपर जैसे ही प्रावधान हैं। उनका भी आवेदन उसी प्रकार से करना अनिवार्य है।
6. 80G जिन संस्थाओं के पास है उन्हें अब दानदाताओं की सूची निश्चित प्रपत्र में प्रतिवर्ष भेजना अनिवार्य होगा। समय से न भेजने पर Late Fee व दण्ड भी लगेगा।
7. पंजीकरण करते हुए या पुराने पंजीकरण को रद्द करते हुए CIT दो नए विषय भी विचार करेगा -
 - i) यदि संस्था अपने उद्देश्यों से हटकर काम कर रही है तो पंजीकरण रद्द हो सकता है।
 - ii) यदि संस्था किसी अन्य विधान का उल्लंघन करती है और उसके लिए उद्देश्यों के अनुसार काम करना संभव नहीं रहता है तो भी CIT पंजीकरण रद्द कर सकता है।
8. एक नई Penalty इस बजट में लाई गई है। इसके अनुसार यदि खातों में कोई झूठी Entry मिलती है तो 100 प्रतिशत का अर्थदण्ड लगेगा। इस झूठी Entry में यदि कोई अन्य व्यक्ति सहायक होगा तो उस पर भी 100 प्रतिशत अर्थदण्ड लगेगा।
अतः अधिकतम लेन-देन A/c Payee चैक से करना ही ठीक है। उसको झूठा सिद्ध करना अत्यन्त कठिन होगा।

बजट पास होने पर एक विस्तृत पत्र पुनः भेजूंगा।

कृपया अपने यहाँ चर्चा करके आगे की उचित योजना बनाएँ।

धन्यवाद।

आपका

(जैन पाल जैन)

अ.भा. कोषाध्यक्ष